

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर (म.प्र.)

//विविध आदेश//

क्रमांक-38/एक-02-01/2011

अनूपपुर, दिनांक 10.05.2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा में न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण होने एवं नवीन न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना होने से पूर्व में जारी कार्य विभाजन संबंधी विविध आदेश क्रमांक 05, दिनांक 15.01.2025 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार संशोधित विविध आदेश जारी किया जाता है :-

व्यवहार कार्य

क.	नाम न्यायालय	क्षेत्राधि- कारिता	कार्य विभाजन
1	2	3	4
1	श्रीमती माया विश्वलाल, प्रधान जिला न्यायाधीश	तहसील- अनूपपुर, जैतहरी	1 जिला मुख्यालय में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा नियमित व्यवहार-वादों में पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित/विविध व्यवहार अपीलें। 2 तहसील अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ एवं कोतमा के अंतर्गत उत्पन्न वाद-कारण से संबंधित रुपये बीस करोड़ से अधिक मूल्यांकन वाले व्यवहार-वाद। 3 धारा 16(2) जागीर एवं लैण्ड रिफार्म्स एक्ट 1952 के अंतर्गत वाद। 4 इन्सालवेंसी केसेस रुपये पन्द्रह लाख से अधिक तथा तहसील कोतमा एवं तहसील पुष्पराजगढ़ से संबंधित बीस लाख से अधिक के प्रकरण। 5 लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत वाद एवं रिफ्रेन्स। 6 लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत स्टेट ऑफीसर के आदेश के विरुद्ध अपील (अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्राधिकृत) 7 रेन्ट कंट्रोल अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध अपील। 8 आर्बीट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पन्द्रह लाख से अधिक मूल्य के प्रकरण तथा तहसील कोतमा, पुष्पराजगढ़ से संबंधित बीस लाख से अधिक के प्रकरण एवं इनसे संबंधित विविध-वाद एवं निष्पादन।

	9	गॉर्जिएन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत वाद ।
	10	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों में पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें ।
	11	चुनाव याचिका अंतर्गत धारा 307(5) म.प्र. नगरपालिक निगम एक्ट 1956 के अंतर्गत ।
	12	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत याचिका ।
	13	म.प्र. म्युनिसिपल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 172(2) के अंतर्गत अपील ।
	14	धारा 26 म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका ।
	15	खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 68 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अथवा अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील ।
	16	अन्य विशेष अधिनियम एवं लोकल एक्ट के प्रकरण, जो अन्य न्यायालयों को अधिकृत नहीं किये गये हैं तथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हों ।
	17	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 के अधीन विचारणीय पारिवारिक विवादों के प्रकरण ।
	18	दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गोदनामा बावत् आवेदन पत्र ।
	19	मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत प्रकरण ।
	20	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1968 के तहत प्रकरण ।
	21	विशेष विवाह अधिनियम, 1968 के तहत प्रकरण ।
	22	गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट तहत प्रकरण ।
	23	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत सिविल जिला अनूपपुर की स्थानीय सीमाओं के संबंध में अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल से जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 4779/2022/इक्कीस-ब(एक)/2022, भोपाल, दिनांक 15.12.2022 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय ।

2	श्री प्रवीण पटेल, प्रथम जिला न्यायाधीश, अनूपपुर	तहसील— अनूपपुर एवं जैतहरी	1	समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए अपील प्रकरण एवं अन्य प्रकरण।
3	श्री नरेन्द्र पटेल, द्वितीय जिला न्यायाधीश, अनूपपुर	तहसील— अनूपपुर एवं जैतहरी	1	इन्सालवेंसी केसेस रुपये एक से पंद्रह लाख तक।
			2	नियमित व्यवहार—वाद रुपये एक करोड़ से अधिक एवं रुपये बीस करोड़ तक एवं इनसे संबंधित निष्पादन।
			3	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत प्रकरण रुपये पांच लाख से अधिक से एवं रुपये पन्द्रह लाख तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद निष्पादन।
			4	लघुवाद प्रकरण रुपये पांच सौ से अधिक।
			5	समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए अपील एवं अन्य प्रकरण।
4	श्री पवन कुमार शंखवार, जिला न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम	तहसील— पुष्पराजगढ़	1	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित/विविध व्यवहार अपीलें।
			2	नियमित व्यवहार वाद रुपये एक करोड़ से अधिक एवं रुपये बीस करोड़ तक के तथा उनसे उत्पन्न विविध वाद एवं निष्पादन।
			3	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रुपये दस लाख से अधिक एवं रुपये पन्द्रह लाख तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद निष्पादन।
			4	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम एवं जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के अन्य दाम्पत्य विवाद, जो तहसील राजेन्द्रग्राम की सीमा के उत्पन्न वाद (प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अनूपपुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
			5	लोकल एक्ट के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील।
			6	व्यवहार—वाद अंतर्गत धारा 92 सी.पी.सी.
			7	म.प्र. म्युनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 172 (3) के अधीन अपील।
			8	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें।
			9	लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के वाद एवं रिफ्रेन्सेस।
			10	रेन्ट कंट्रोल अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध अपील।
			11	गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत वाद।
			12	इन्सालवेंसी केस रुपये दस लाख से अधिक

				रुपये बीस लाख तक।
			13	तहसील पुष्पराजगढ़ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील (अधिनियम की धारा 9 के अनुसार)।
			14	अन्य दावे, कार्यवाहियां या अपीलें, जो तहसील पुष्पराजगढ़ के क्षेत्राधिकार के उत्पन्न हुए हों तथा इस आदेश के द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को आवंटित न की गई हो।
			15	समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए अपील एवं अन्य प्रकरण।
5	श्री विक्रम सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोतमा	तहसील— कोतमा	1	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा, प्रथम एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोतमा के न्यायालय के आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत अपीलें।
			2	व्यवहारवाद मूल्यांकित रुपये एक करोड़ से अधिक किन्तु रुपये बीस करोड़ तक के वाद एवं उनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें।
			4	इन्सालवेंसी आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत प्रकरण, जिसमें वाद का मूल्यांकन एक रुपये से अधिक किन्तु बीस लाख रुपये तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन।
			5	रेन्ट कंट्रोल अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध अपील।
			6	विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम एवं अन्य दांपत्य विवाद, जो तहसील कोतमा की सीमा के उत्पन्न वाद (प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अनूपपुर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
			7	लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अंतर्गत वाद एवं रिफ्रेन्सेस।
			8	म.प्र. म्युनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 172(3) के अधीन अपील।
			9	गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत वाद।
			10	लघुवाद प्रकरण रुपये पांच सौ से अधिक एवं रुपये एक हजार तक (अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्राधिकृत)
			11	कोतमा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील (अधिनियम की धारा 9 के अनुसार)।
			12	अन्य दावे, कार्यवाहियां या अपीलें, जो कोतमा के

				क्षेत्राधिकार के उत्पन्न हुए हों तथा इस आदेश के द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को आवंटित न की गई हो।
			13	समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
6	प्रथम जिला न्यायाधीश, कोतमा	तहसील कोतमा	1	समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
7	द्वितीय जिला न्यायाधीश, कोतमा	तहसील कोतमा	1	समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
8	श्रीमती चैनवती ताराम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील— अनूपपुर	1	रुपये पांच लाख से अधिक परंतु रुपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ।
			3	म्यूनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 139 एवं 172(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			4	लघुवाद प्रकरण रुपए तीन सौ एक से रुपए पांच सौ तक।
			5	रुपए दस लाख तक के इन्साल्वेंसी प्रकरण।
			6	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रुपए पांच लाख मूल्यांकन तक के वाद एवं उनसे संबंधित वाद कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन।
			7	इस आदेश द्वारा वे कार्य, जो अन्य व्यवहार न्यायाधीश को आवंटित नहीं किया गया है।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
9	सुश्री सुधा पाण्डेय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील— जैतहरी	1	रुपये पांच लाख से अधिक परंतु रुपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ।
			2	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ।
			3	म्यूनिसिपल एक्ट 1961 की धारा 139 एवं 172(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			4	लघुवाद प्रकरण रुपए तीन सौ एक से रुपए पांच सौ तक।
			5	रुपए दस लाख तक के इन्साल्वेंसी प्रकरण।
			6	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रुपए पांच लाख मूल्यांकन तक के वाद एवं उनसे संबंधित वाद कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन।

			7	इस आदेश द्वारा वे कार्य, जो अन्य व्यवहार न्यायाधीश को आवंटित नहीं किया गया है।
			8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
10	श्री बॉबी सोनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील-अनूपपुर	1	रुपए एक से रुपए पांच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहार-वाद तथा उससे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रुपये एक से रुपये दो सौ तक मूल्यांकन तक के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण।
11	सुश्री सृष्टि साहू, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर	तहसील-जैतहरी	1	रुपए एक से रुपए पांच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहार-वाद तथा उससे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रुपये एक से रुपये दो सौ तक मूल्यांकन तक के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए प्रकरण।
12	श्री सुनील कुमार खरे, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम	तहसील पुष्पराजगढ़	1	रुपये पांच लाख से अधिक एवं रुपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रुपये तीन सौ से अधिक एवं रुपये पांच सौ तक के लघुवाद।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्रस्तुत कार्यवाहियां।
			4	इन्साल्वेंसी के रुपये दस लाख मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			5	आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रुपये दस लाख तक के मूल्यांकन के दावे एवं उनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
			6	पुष्पराजगढ़ तहसील में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवंटित न किए गए अन्य कार्य।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
13	श्री निखिल सिंघई, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम	तहसील पुष्पराजगढ़	1	रुपये एक से रुपये पांच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रुपये एक से रुपये तीन सौ तक के मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।

14	श्री अरविन्द कुमार बरला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा	तहसील कोतमा	1	रुपये पांच लाख से अधिक एवं रुपये एक करोड़ तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रुपये तीन सौ से अधिक एवं रुपये पांच सौ तक के लघुवाद।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्रस्तुत कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
15	श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोतमा	तहसील कोतमा	1	रुपये एक से रुपये पांच लाख तक के "ए" एवं "बी" श्रेणी के व्यवहारवाद तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	रुपये एक से रुपये तीन सौ तक मूल्यांकन के लघुवाद।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा		1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा		1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित वाद एवं अन्य कार्यवाहियां।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से उत्पन्न प्रकरण

1	2	3	4	5
1	श्रीमती माया विश्वलाल, सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर	तहसील— अनूपपुर एवं जैतहरी	1	तहसील अनूपपुर एवं जैतहरी के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे जिनमें बीमा हों एवं उससे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
2	श्री प्रवीण पटेल प्रथम अति. सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधि. अनूपपुर		1	प्रधान जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।
3	श्री नरेन्द्र पटेल, द्वितीय अति. सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर	तहसील— अनूपपुर एवं जैतहरी	1	तहसील अनूपपुर एवं जैतहरी के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे जिनमें बीमा न हो से संबंधित दावे एवं उससे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।

4	श्री पवन कुमार शंखवार, सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजेन्द्रग्राम	तहसील—राजेन्द्रग्राम	1	तहसील पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं के प्रकरण।
5	श्री विक्रम सिंह प्रथम अति. सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त सदस्य कोतमा	तहसील—कोतमा	1	तहसील कोतमा के अंतर्गत स्थित थाना भालूमाड़ा, कोतमा, बिजुरी एवं रामनगर के क्षेत्राधिकार में हुए वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित दावे।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे।
6	प्रथम अति. सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोतमा		1	प्रधान जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे।
7	द्वितीय अति. सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोतमा		1	प्रधान जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अनूपपुर द्वारा अंतरित वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे।

आपराधिक कार्य

1	2	3	4	5
1	श्रीमती माया विश्वलाल, सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	सत्र खण्ड अनूपपुर	1	सत्र प्रकरण, थाना—अनूपपुर, जैतहरी, चचाई, थाना अजाक एवं महिला थाना अनूपपुर से संबंधित।
			2	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 448, 449 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			3	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4	मुख्यालय अनूपपुर में स्थित न्यायालय—मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं समस्त न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालयों में पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			5	जी.आर.पी./आर.पी.एफ. अनूपपुर थाने से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में रेल्वे मजिस्ट्रेट जबलपुर के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील तथा पुनरीक्षण।
			6	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482, 483 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। (एस.सी./एस. टी. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र किन्तु एन.डी.पी.एस., इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित आवेदनों को छोड़कर।)

			7	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत प्रकरणों की सुनवाई।
			8	खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलें।
			9	किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।
			10	किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उपापिप्त प्रकरण।
			11	पीठासीन अधिकारी, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अनूपपुर एवं कोतमा के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील। (अंतर्गत धारा 33 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008)
			12	सत्र खण्ड का अन्य कार्य जो सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हो।
2	श्री प्रवीण पटेल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	सत्र खण्ड अनूपपुर	1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।
			2	म.प्र. निपेक्षकों के हितों का संरक्षण अधि. 2000 से उत्पन्न प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।
			3	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।
			4	उपरोक्त मामलों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
			5	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
3	श्री नरेन्द्र पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर	सत्र खण्ड अनूपपुर	1	थाना अनूपपुर, चचाई, जैतहरी के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से उद्भूत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।
			2	बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सह हत्या के प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किए गए हों।
			3	विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विचारणीय समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन, विविध कार्यवाही।
			4	उपरोक्त मामलों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

			5	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
4	श्री पवन कुमार शंखवार अपर सत्र न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम	तहसील पुष्पराजगढ़	1	तहसील पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत स्थित समस्त थानों से उत्पन्न सत्र प्रकरण तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 के प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन तथा राजेन्द्रग्राम न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारियों के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न अपीलें एवं पुनरीक्षण।
			2	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
5	श्री विक्रम सिंह, प्रथम अपर सत्र न्याया., कोतमा के न्यायालय के अति. अपर सत्र न्याया. कोतमा	तहसील कोतमा	1	थाना कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी एवं रामनगर के क्षेत्रांतर्गत प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।
			2	तहसील कोतमा के अंतर्गत स्थित थाना कोतमा, भालूमाड़ा, रामनगर एवं बिजुरी से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			3	थाना कोतमा, भालूमाड़ा, बिजुरी एवं रामनगर के क्षेत्रांतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			3	श्री अरविन्द कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोतमा, श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न दण्डिक अपील एवं पुनरीक्षण।
			4	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
6	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश., कोतमा	तहसील कोतमा	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
7	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश., कोतमा	तहसील कोतमा	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।

टीप:-

1. किसी भी आपराधिक मामले में प्रथम जमानत आवेदन जो न्यायाधीश सुनेंगे, उस मामले से संबंधित प्रस्तुत होने वाले द्वितीय, तृतीय आदि क्रमिक जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई भी उन्हीं के द्वारा की जावेगी।

2. किसी भी आपराधिक मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन उसी न्यायालय द्वारा सुने जायेंगे, जहां वह प्रकरण विचाराधीन है।
3. पूर्व में पदस्थ ऐसे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के सत्र/अपील प्रकरण एवं अनूपपुर, जैतहरी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों, की सुनवाई संबंधी कार्यवाही **न्यायालय श्री नरेन्द्र पटेल, द्वितीय जिला न्यायाधीश अनूपपुर** के न्यायालय के द्वारा सम्पादित की जावेगी।
4. पूर्व में पदस्थ ऐसे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के सत्र/अपील प्रकरण एवं तहसील कोतमा क्षेत्राधिकारिता से संबंधित ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों, की सुनवाई संबंधी कार्यवाही **श्री विक्रम सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कोतमा** के द्वारा सम्पादित की जावेगी।
5. पूर्व में पदस्थ ऐसे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के तहसील अनूपपुर एवं जैतहरी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड** के सुनवाई योग्य ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों, की सुनवाई संबंधी कार्यवाही **श्रीमती चैनवती ताराम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर** के द्वारा सम्पादित की जावेगी।
6. पूर्व में पदस्थ ऐसे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के तहसील अनूपपुर एवं जैतहरी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** के सुनवाई योग्य ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों, की सुनवाई संबंधी कार्यवाही **श्री बॉबी सोनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर** के द्वारा सम्पादित की जावेगी।
7. पूर्व में पदस्थ ऐसे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के तहसील कोतमा क्षेत्राधिकारिता से संबंधित **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड** के सुनवाई योग्य ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों, की सुनवाई संबंधी कार्यवाही **श्री अरविन्द कुमार बरला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा** के द्वारा सम्पादित की जावेगी।
8. पूर्व में पदस्थ ऐसे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके न्यायालय वर्तमान में प्रभाव में नहीं है, उन न्यायालयों के तहसील कोतमा क्षेत्राधिकारिता से संबंधित **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** के सुनवाई योग्य ऐसे समस्त व्यवहार प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ जो अपीलीय न्यायालयों से निराकृत की गई हों, की सुनवाई संबंधी कार्यवाही **श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोतमा** के द्वारा सम्पादित की जावेगी।

9. कार्य विभाजन संबंधित विविध आदेश क्रमांक 05, अनूपपुर, दिनांक 15.01.2025 जारी होने के पूर्व सिविल प्रकरणों एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जिन प्रकरणों में जिस न्यायालय/अधिकरण द्वारा निर्णय/डिक्री/आदेश/अधिनिर्णय पारित किए गए हैं, ऐसे प्रकरणों से संबंधित इजराय प्रकरण, अधिनिर्णय अनुसार क्लेम राशि के भुगतान हेतु आवेदन, धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निर्णय/डिक्री/आदेश/अधिनिर्णय में लिपिकीय या गणितीय त्रुटि को सुधारने हेतु आवेदन, उसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे, जिस न्यायालय/अधिकरण द्वारा संबंधित प्रकरण में निर्णय/डिक्री/आदेश/अधिनिर्णय पारित किए गए हैं।

न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादन हेतु निर्देश

सिविल कोर्ट एक्ट, 1961 की धारा 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8(8) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यरत पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल एवं सत्र कार्य संपादित करने के लिए वर्ष 2025 हेतु निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किया जाता है :-

अनुलग्न "अ"

क.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	श्रीमती माया विश्वलाल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री प्रवीण पटेल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
2	श्री प्रवीण पटेल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्रीमती माया विश्वलाल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
3	श्री नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री प्रवीण पटेल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्रीमती माया विश्वलाल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
4	श्री पवन कुमार शंखवार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम	श्री प्रवीण पटेल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
5	श्री विक्रम सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोतमा	श्री प्रवीण पटेल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर	श्री नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर
6	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा	श्री विक्रम सिंह, प्रथम जिला न्यायाधीश, कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोतमा	श्री प्रवीण पटेल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर

[illegible]

टीप :-

1. उक्त सारणी में प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत दोनों न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।
2. वर्तमान में इस न्यायिक जिला स्थापना में प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोतमा व प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोतमा के न्यायालय रिक्त हैं, इसलिए उक्त दोनों न्यायालयों से निर्णीत प्रकरणों से संबंधित कोई कार्यवाही पेश होने पर उक्त सारणी अनुसार प्रथम या द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।
3. उक्त आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

(माया विश्वलाल)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1081/एक-02-01/2011
प्रतिलिपि :-

अनूपपुर, दिनांक 10.05.2025

- 1- प्रथम/द्वितीय जिला न्यायाधीश, अनूपपुर/कोतमा,
- 2- प्रथम जिला न्यायाधीश कोतमा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, कोतमा
- 3- जिला न्यायाधीश, राजेन्द्रग्राम,
- 4- प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अनूपपुर
- 5- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोतमा/राजेन्द्रग्राम,
- 6- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा के न्याया. के अति. न्यायाधीश, कोतमा
- 7- प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अनूपपुर/कोतमा,
- 6- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राजेन्द्रग्राम,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ अनूपपुर/कोतमा/राजेन्द्रग्राम,
- 8- प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल/सहा. लेखापाल अनूपपुर,
- 9- प्रस्तुतकार-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर,
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग अनूपपुर की ओर जिला न्यायालय अनूपपुर की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने एवं न्यायिक अधिकारीगण के ई-मेल पते पर भेजने हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर (म.प्र.)